न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–05/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा।

उपस्थितः–अरविन्द कुमार यादव–II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

{J.O.Code No. UP6351}

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2013/2026

सी.एन.आर.सं. UPMT01–004629–2026

नईम पुत्र रफीक, निवासी अनार का नगला, भुजपुरा, थाना कोतवाली, जिला अलीगढ़।

प्रति

उ.प्र. राज्य

आदेश

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **नईम** की ओर से मु०अ०सं०–474/2025, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–राया, जिला–मथुरा के अन्तर्गत दिया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार गैंग लीडर वसीम उर्फ नकीम तथा गैंग के अन्य सदस्य नईम, अतर सिंह व नौशाद ने मिलकर एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है, जिनके विरूद्ध कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत है। यह गैंग अपने आर्थिक व भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिये एक संगठित गैंग बनाकर धोखाधड़ी, मारपीट, चौथ वूसली जैसे अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते है। इनके भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इस गैंग लीडर व सदस्य के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाने व न्यायालय में गवाही देने को तैयार नहीं होता है अभियुक्तगणों के कारित अपराधों के परिणाम स्वरूप जनमानस में भय व्याप्त है। गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त **नईम** का निम्न आपराधिक इतिहास हैः–

अभियुक्त नईम के विरुद्ध

1– मु०अ०सं० 96/2025, धारा 331(4),305,317(2),3(5) BNS, थाना राया, जिला–मथुरा,

2– मु०अ०सं० 108/2025 धारा 331(3), 317(2), 305 BNS , थाना राया, जिला मथुरा,

3– मु०अ०सं० 110/2025, धारा 109(1)(पु०मु०) BNS व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम, थाना राया, जिला–मथुरा,

4– मु०अ०सं० 87/2025, धारा 305,331(3),317(2),3(5) BNS, थाना सदर बाजार, जिला–मथुरा, पंजीकृत हैं।

3– जमानत प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में शपथकर्ताओं ने यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। उक्त मुकदमें में जनता का कोई स्वतन्त्र गवाह नही है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। गैंगचार्ट में अंकित मुकदमों में वह जमानत पर है। अभियुक्त का किसी गैंग से कोई संबंध नहीं है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्क सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

5– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त का न तो किसी सक्रिय गैंग से संबंध है तथा न ही पूर्व सजायाफ्ता है। अतः प्रश्नगत मामले में अभियुक्त को जमानत दी जाये।

6– राज्य के विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियुक्त आपराधिक गिरोह का सदस्य है, जिसकी वजह से जन मानस में भय का माहौल व्याप्त रहता है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

7– प्रपत्रों को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि गैंग चार्ट में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 96/2025, धारा 331(4),305,317(2),3(5) BNS, थाना राया, जिला–मथुरा, मु०अ०सं० 108/2025 धारा 331(3), 317(2), 305 BNS , थाना राया, जिला मथुरा, मु०अ०सं० 110/2025, धारा 109(1)(पु०मु०) BNS व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम, थाना राया, जिला–मथुरा, मु०अ०सं० 87/2025, धारा 305,331(3),317(2),3(5) BNS, थाना सदर बाजार, जिला–

Digitally signed by ARVIND KUMAR YADAV
Date: 2026.06.04 19:53:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मथुरा, पंजीकृत हैं। थाने से प्राप्त आख्या में जनपद अलीगढ़ में भिन्न भिन्न थानों पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 56/2021, 57/2021, 04/2021, 07/2021, 194/2021, 728/2020, 757/2020 व 173/2015 भी पंजीकृत हैं। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को आपराधिक गैंग का लीडर बताया गया है। गिरोह के सह मुल्जिमों का आपराधिक इतिहास है। प्रस्तुत मामले में विवेचना लम्बित है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियुक्त की सम्पत्ति अवैध संपत्ति की जानकारी हेतु धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही प्रचलित है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इससे विवेचना प्रभावित होगी। गिरोह के मुल्जिमानों का आपराधिक इतिहास है। धारा–19(4 ख)उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 द्वारा अपेक्षित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अभियुक्त को तभी जमानत दी जायेगी, जब न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा वह जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित नहीं करेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभी इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषी नहीं है अथवा जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः अपराध नहीं करेगा। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

मु०अ०सं०–474/2025, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–राया, जिला–मथुरा के मामले में प्रस्तुत अभियुक्त **नईम** का जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–03.06.2026

(अरविन्द कुमार यादव–II)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा।
आई०डी० यू०पी० 6351